न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 105 / 2022

1 राधा देवी पत्नी श्री गोरूराम जाति जाट निवासी लिछमणपुरा (रेटा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बलराम पुत्र गुल्लाराम जाति जाट निवासी ग्राम कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
2 कमला देवी पुत्री गोपीराम
3 छोटी देवी पुत्री गोपीराम
4 भंवरी देवी पुत्री गोपीराम
5 राधा देवी पुत्री गोपीराम
6 संतोष देवी पुत्री गोपीराम
7 केशर देवी पत्नी गोपीराम
8 गिरधारीलाल पुत्र गोपीराम
9 छितरमल पुत्र लाखाराम
10 हरफूल सिंह पुत्र लाखाराम
11 दीपाराम पुत्र बिंजाराम
समस्त जाति जाट निवासी लिछमणपुरा (रेटा) तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
12 राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
13 प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
14 प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पलसाना जिला सीकर राज.।
15 प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा रानोली जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर मु.नं. 72ए/2022 आवेदन अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बजनवानी बलराम बनाम राधा देवी पीठासीन अधिकारी श्री अर्चना चौधरी आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री सुखदेव महला , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 72ए/2022 में पारित निर्णय दिनांक 28.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 54, 55, 57, 58, 422/73, 70, 71, 72 वाके ग्राम लिछमणपुरा पटवार हल्का रेटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि के रास्ते के संबंध में एक आवेदन अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रकरण संख्या 104/2020 विचारण न्यायालय के यहां दिनांक 30.12.2020 को प्रस्तुत किया जिसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

माननीय न्यायालय द्वारा रास्ते हेतु रिपोर्ट तहसीलदार भू अभिलेख दांतारामगढ़ जिला सीकर से प्राप्त कर अपीलान्ट को बिना सूचना के ही एक तरफा कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 15 की गलत तामील रिपोर्ट को सही मानते हुये एकतरफा कार्यवाही कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी के पक्ष में उक्त आवेदन स्वीकार करते हुये दिनांक 27.06.2022 को निर्णय सुनाया जाकर पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाकर नम्बर से कम किये जाने के आदेश किये गये। चुंकि उक्त आवेदन में अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया तथा गलत रूप से तामील रिपोर्ट करवाकर अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुये चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 27.06.2022 पारित किया गया जो न्याय सिद्धान्तों के विपरित जाकर उक्त आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण के निर्णय के बाद दिनांक 14.07.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा एक रिव्यू आवेदन अ. आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पेश किया गया तथा साजकर उसी आवेदन के साथ एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी तथा दूसरा आवेदन आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली को पुनः तलब किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 11/अप्रार्थी संख्या 15 को ही जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश कर बहुत बड़ी कानूनी भुल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 445/422 सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड टोंक शाखा रानोली के यहां रहन है किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आवेदन में उक्त बैंक को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय दिनांक 28.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर को अपास्त किये जाने के कृपापूर्ण आदेश प्रदान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

करावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2019(2) राज पेज 663 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 54, 55, 57, 58, 422/73, 70, 71, 72 वाके ग्राम लिछमणपुरा पटवार हल्का रेटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। तहसीलदार ने रिपोर्ट में अंकन किया है कि वादी की खातेदारी भूमि तक लगने वाला नजदीकी रास्ता हेतु खसरा नम्बर 422/73, 72, 71 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 70 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आज दिनांक को आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है जो कि खसरा नम्बर 55 में जाता है जो खसरा नम्बर 55 वादी स्वयं की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी का रास्ता रेटा से कोछोर डामर सड़क से ही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने में सुविधाजनक रास्ता उपरोक्तानुसार ही है। वादी को रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार रास्ता दिया जाना आवश्यक है। वादी अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु खसरा नम्बरान की सीमाओं के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है किन्तु प्रस्तावित रास्ते के खातेदार सहमत नहीं है तथा जमीन के बदले जमीन लेकर रास्ता देने में सहमत नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते का नाप चोक किया गया वादी द्वारा 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 422/73 में से इस रास्ते की लम्बाई 160 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गमीटर होता है तथा खसरा नम्बर 72 में रास्ते की लम्बाई 48 मीटर है तथा चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर होता है तथा खसरा नम्बर 71 में से रास्ते की लम्बाई 44 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर जिसका क्षेत्रफल 176 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 70 में से रास्ते की लम्बाई 182 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर जिसका क्षेत्रफल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

728 वर्ग मीटर है जो कि रास्ते हेतु प्रस्तावित है अत प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 1736 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 422/73 में से 640 वर्गमीटर क्षेत्रफल रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है तथा यह खसरा नम्बर ग्राम रेटा से कोछोर रोड़ पर अवस्थित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मंशा रास्ते की आत्यंधिक आवश्यकता होने की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से रास्ते की दूरी तय नहीं की जा सकती है। इससे अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि खसरा नम्बर 54, 55, 57, 58 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 422/73, 70, 71, 72 वाके ग्राम लिछमणपुरा पटवार हल्का रेटा में से रास्ता चाहने हेतु आवेदन पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन है कि वादी की खातेदारी भूमि तक लगने वाला नजदीकी रास्ता हेतु खसरा नम्बर 422/73, 72, 71 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 70 की दक्षिणी व पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आज दिनांक को आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है जो कि खसरा नम्बर 55 में जाता है जो खसरा नम्बर 55 वादी स्वयं की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी का रास्ता रेटा से कोछोर डामर सड़क से ही है। इसके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने में सुविधाजनक रास्ता उपरोक्तानुसार ही है। वादी को रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार रास्ता दिया जाना आवश्यक है। वादी अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु खसरा नम्बरान की सीमाओं के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित है किन्तु प्रस्तावित रास्ते के खातेदार सहमत नहीं है तथा जमीन के बदले जमीन लेकर रास्ता देने में सहमत नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते का नाप चोक किया गया वादी द्वारा 4 मीटर चौड़ा रास्ता चाहा गया है मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 422/73 में से इस रास्ते की लम्बाई 160 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर जिसका क्षेत्रफल 640 वर्गमीटर होता है तथा खसरा नम्बर 72 में रास्ते की लम्बाई 48 मीटर है तथा चौड़ाई 4 मीटर है जिसका क्षेत्रफल 192 वर्गमीटर होता है तथा खसरा नम्बर 71 में से रास्ते की लम्बाई 44 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर जिसका क्षेत्रफल 176 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 70 में से रास्ते की लम्बाई 182 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर जिसका क्षेत्रफल 728 वर्ग मीटर है जो कि रास्ते हेतु प्रस्तावित है अत प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षेत्रफल 1736 वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 422/73 में से 640 वर्गमीटर क्षेत्रफल रास्ते के रूप में उपयोग आ रहा है तथा यह खसरा नम्बर ग्राम रेटा से कोछोर रोड़ पर अवस्थित है। इसी प्रकरण में पत्रावली दिनांक 28.01.2021 की मौका रिपोर्ट भी संलग्न है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में दोनों मौका रिपोर्टों का विवेचन व विश्लेषण किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण के अंतिम निर्णय दिनांक 27.06.2022 के बाद दिनांक 14.07.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा एक रिव्यू आवेदन अ. आदेश 47 नियम 1 सीपीसी पेश किया गया तथा साजकर उसी आवेदन के साथ एक अन्य आवेदन अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी तथा दूसरा आवेदन आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करने पर पत्रावली को पुनः तलब किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा उसी दिनांक को रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी आवेदनों को स्वीकार किया जाकर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट सं. 11/अप्रार्थी संख्या 15 को ही जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश कर, अपीलान्ट को सूचित किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील की सुनवाई के दौरान अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस ग्राम कोछोर एवं नक्शा ट्रेस ग्राम लक्ष्मणपुरा प्रस्तुत किया है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदनकर्ता के पास निकटतम दूरी पर कटान का रास्ता मौजूद है। आवेदकर्ता ने निकटतम दूरी का रास्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत नही कर लम्बी दूरी का रास्ता प्राप्त कर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की मूल भावना के विपरित निर्णय पारित करवाया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं आवेदक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 251 ए खारिज किया जाता है। आवेदक निकटतम दूरी के रास्ते हेतु नये सिरे से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 26.2.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर